न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **305 / 2024**

GCMS NO. 2024/582

रणवीर सिंह पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर उम्र 43 साल निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

..................वादी

– बनाम –

1. कानूड़ी पत्नी ताराचन्द जाति गुर्जर उम्र 65 साल निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)
2. रघुवीरसिंह पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर उम्र 65 साल निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगणगण

वाद – घोषणात्मक नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री हवासिंह निर्वाण

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 11/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से पेश किया गया है कि:–

वाके ग्राम रोजड़ा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 152 के हाल खसरा नम्बर 420 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 962/[illegible] कुल किता 12 कुल रकबा 5.1500 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] 2 का 3/72 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं हाल खाता संख्या 124 [illegible] 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 [illegible] 0.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 919/193 रकबा 0.2400

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 5.9200 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का 3/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारो का दर्ज रिकार्ड है। वादी को धर पर "रणधीर पुत्र ताराचन्द" व "रणवीर सिंह पुत्र ताराचन्द" के नाम से यानि दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रणधीर पुत्र ताराचन्द दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम "रणवीर सिंह पुत्र ताराचन्द" है जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज/कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम गलत रूप से दर्ज होने से वह अपनी भूमि के सुधार हेतु, ऋण लेने, संपरिवर्तन करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य कानूनी कार्यवाही करने में वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के लिए दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रोजड़ा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 152 के हाल खसरा नम्बर 420 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 962/419 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 5.1500 हैक्टर भूमि में वादी का नाम एवं हाल खाता संख्या 124 के हाल खसरा नम्बर 100 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 919/193 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 5.9200 हैक्टर भूमि में वादी भूमि के वादी का नाम "रणधीर पुत्र ताराचन्द" के स्थान पर "रणवीर सिंह पुत्र ताराचन्द" की धोषणा किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 की और से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया साथ ही प्रतिवादी सं. 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2259 दिनांक 08.09.2025 से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवार हल्का मान्दरी की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 152 एवं 124 ग्राम रोजड़ा,, प्रतिलिपि आधार कार्ड, वाहन चालन लाईसेंस, पैन कार्ड एवं बैंक पास बूक पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का मान्दरी की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2259 दिनांक 08.09.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी रणधीर पुत्र ताराचन्द के स्थान पर रणवीर पुत्र ताराचन्द दुरूस्त किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 152 एवं 124 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **रणधीर पुत्र ताराचन्द** के स्थान पर **रणवीर पुत्र ताराचन्द** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...11/12/25... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

रणवीर सिंह — ब ना म — कानूड़ी आदि

मुकदमा नम्बर :– 305 / 2024 GCMS No. – 2024/582

निर्णय दिनांक :– 11/12/25

दावा बाबत घोषणात्मक नाम दुरूस्ती

वादी की ओर से श्री हवासिंह निर्वाण एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 03 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11 / 12 / 25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

"वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता हाल खाता संख्या नया 152 एवं 124 में वादी के वर्तमान में दर्ज नाम **रणधीर पुत्र ताराचन्द** के स्थान पर **रणवीर पुत्र ताराचन्द** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 11/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested